राजस्थान–सरकार
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, जयपुर
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN Tel. 2227033)

क्रमांकः एफ.61(122) SSAAT /टेण्डर/ As and When vechile/2024/09220 जयपुर दिनांकः

As and when basis आधार पर टैक्सी कार वाहन उपलब्ध कराने हेतु बोली (Bid) आमंत्रण सूचना

NIB No.3/SSAAT/Car/2025

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विशेष जांच एवं अन्य कार्यों हेतु **सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, जयपुर** के अधिकारियों के लिए दैनिक किराये पर जब भी आवश्यक हो (As and When Basis) के आधार पर 03 टैक्सी कार वाहन की सेवाओं के उपापन हेतु टैक्सी कार मालिको/ट्रेवल एजेन्सियों से निम्न विवरणानुसार दो लिफाफा पद्धति में बोली (बिड) आमन्त्रित की जाती हैः–

क्र. सं.	दैनिक किराये पर आवश्यक टैक्सी कार के विभिन्न मॉडल	अनुमानित राशि	बोली (Bid) प्रतिभूति राशि रूपय	बोली (Bid) प्रपत्र शुल्क रूपय
1.	हुंडई ऑरा, टाटा इण्डिका, इण्डिगो, टोयटा इटियोस, स्विफ्ट डिजायर, सेवरले टवेरा/महिन्द्रा बोलेरो, टोयटा इनोवा, इनोवा क्रिस्टा एव अन्य समकक्ष टैक्सी वाहन	600000/–	12000/–	500/–

बोली (Bid) का विस्तृत विवरण https://sppp.rajasthan.gov.in तथा https://socialaudit.rajasthan.gov.in पर देखा एवं डाऊनलोड किया जा सकता है।
बिड प्रपत्र डाउनलोड करने एवं प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक 03.09.2025 को सांय 05.00 बजे तक रहेगा। बिड दिनांक 04.09.2025 को सांय 3.00 बजे खोली जावेगी।

निदेशक
(SSAAT)

क्रमांकः एफ.61(122) SSAAT /टेण्डर/ As and When vechile/2024/09220 दिनांकः ई–हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को संबंधित बिड को वेबसाईट [illegible] करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2025.08.21 15:29:32 IST
Reason: Approved

निदेशक
(SSAAT)

RajKaj Ref No.: 17306064

As and when basis आधार पर टैक्सी कार वाहन उपलब्ध कराने हेतु
बोली (Bid) आमंत्रण सूचना
NIB No.3/SSAAT/Car/2025

बोली (Bid) आमंत्रण प्रपत्र

<u>Bid Document</u>

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-[illegible]033

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2025.08.21 15:29:32 IST
Reason: Approved

बोली (Bid) का विवरण

बोली (Bid) की विषय वस्तु	सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी शासन सचिवालय,जयपुर में दैनिक किराये पर जब भी आवश्यक हो के आधार पर 03 टैक्सी कार वाहन की सेवाओं के उपापन हेतु बोली (Bid) आमंत्रण
बोली (Bid) जिसे सम्बोधित होगी	निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, शासन सचिवालय, जयपुर
बोली (Bid) का संदर्भ	**NIB No.3/SSAAT/Car/2025**
बोली (Bid) अनुमानित राशि	रूपये 6.00 / — लाख वार्षिक
बोली (Bid) प्रपत्र शुल्क	रूपये 500 / — का बैंक ड्राफ्ट "निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी जयपुर" के नाम से देय।
बोली (Bid) प्रतिभूति राशि	रूपये 12000 / — का बैंक ड्राफ्ट "निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी जयपुर" के नाम से देय।
बोली (Bid) आमंत्रण का विवरण व बोली प्रपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया व समय	बिड़ Document वेबसाईट https:// sppp. rajasthan. gov.in तथा https:// socialaudit.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
बोली (Bid) प्रस्तुत करने का अन्तिम समय	दिनांक 03.09.2025 को सांय 05.00 बजे तक
बोली (Bid) प्रपत्र शुल्क व एवं बोली प्रति सुरक्षा राशि शपथ पत्र एवं ई—टेण्डर प्रक्रिया शुल्क प्रस्तुत करना	बोली (Bid) प्रपत्र शुल्क व बोली (Bid) प्रतिभूति राशि के साथ दिनांक 03.09.2025 को सांय 5.00 बजे तक निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी जयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
बोली (Bid) खोलने का समय	दिनांक 04.09.2025 को सांय 03.00 बजे

निदेशक
(SSAAT)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2025.08.21 15:29:32 IST
Reason: Approved

बिड़दाता हेतु निर्देश

नोटः– कृपया बोली (Bid) प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे अन्यथा बोली (Bid) प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।

1. बोली (Bid) प्रस्ताव के साथ निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न किये जावे :–
   1) बोली (Bid) प्रस्ताव मय दस्तावेज ऑफलाईन ही प्रस्तुत किये जावे।
   2) बोली (Bid) की सामान्य एवं विशिष्ट शर्ते
   3) बोली (Bid) प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक
   4) पैन कार्ड की प्रति
   5) यदि जीएसटी पंजीकृत है तो बोलीदाता पंजीयन नम्बर एवं पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति भी संलग्न करेगे। यदि पंजीकृत नहीं है तो 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशल स्टाम्प पर पंजीयन नहीं होने के कारणों का वर्णन करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे।
2. बोली (Bid) प्रस्तावक /फर्म/कम्पनी का नाम, पता, फोन नं. व मोबाइल नम्बर, ई–मेल पता, प्रस्ताव पर हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पद, फोन/मोबाइल नम्बर, फर्म/कम्पनी का पंजीयन प्रमाण पत्र, विभाग के साथ पत्र व्यवहार हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम, पद फोन व मोबाइल नम्बर आदि सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरकर ऑफलाईन प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत की जावे। प्रस्तावक/सम्पर्क व्यक्ति के दूरभाष नम्बर एवं मोबाइल नम्बर भी अंकित किये जावे।
3. बोली (Bid) प्रपत्र एवं बोली (Bid) आमंत्रण सूचना में अंकित शर्तो के अतिरिक्त शर्त के/विपरीत शर्त के/सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाएगे।
4. वित्तीय बिड़ में मांगी गयी सूचना ही भरी जावे अतिरिक्त प्रस्ताव अथवा सूचना स्वीकार्य नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2025.08.21 15:29:32 IST
Reason: Approved

<u>बिड़दाता की सूचना</u>

1.	बोली (Bid) सूचना संख्या	MIB No. दिनांक
2.	सम्बोधित	निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, शासन सचिवालय, जयपुर
3.	उपापन की विषयवस्तु	दैनिक किराये पर जब भी आवश्यक हो के आधार पर 03 टैक्सी कार वाहन उपलब्ध कराने बाबत।
4.	बोली (Bid) दाता का नाम	
5.	बोली (Bid) दाता का पता	
6.	बोली (Bid) दाता का दूरभाष नं.	
7.	बोली (Bid) दाता का मोबाइल नं.	
8.	सम्पर्क योग्य व्यक्ति का नाम व पद	
9.	सम्पर्क योग्य व्यक्ति का दूरभाष एवं मोबाइल नं.	
10.	बोली (Bid) दाता का फैक्स नं.	
11.	बोली (Bid) दाता का ई–मेल पता	
12.	बोली (Bid) दाता का पैन नं.	
13.	बोली (Bid) दाता का बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, ब्रांच एवं आईएफएसी कोड नं.	
	बोली (Bid) दाता का पेन पंजीयन नं. (पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करे)	
14.	बोली (Bid) दाता का जीएसटी पंजीयन नं. (पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करे)	
15.	बोली (Bid) दाता के संतोषजनक कमार्य पूर्ण करने के अनुभव का विवरण एवं संबंधित दस्तावेज का विवरण (दस्तावेज संलग्न करें)	
16.	अन्य विवरण/दस्तावेज	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2025.08.21 15:29:32 IST
Reason: Approved

बोली (Bid) दाता के हस्ताक्षर

बोली (Bid) दाता का नाम व पद

दैनिक किराये पर टेक्सी कार वाहन उपलब्ध कराने हेतु विशेष शर्ते

1. अनुबंध कार्यादेश की दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि के लिए किया जायेगा।
2. कार्यालय को उपलब्ध कराने वाले टेक्सी कार वाहन टेक्सी के रूप में परिवहन विभाग में पंजीकृत होगे। वाहन के साथ वाहन का पंजीयन पत्र, वाहन चालक का लाईसेंस एवं बीमा आदि के दस्तावेज वाहन के साथ उपलब्ध रहेगे, जिन्हें उपयोगकर्ता अधिकारी देख सकेगा। वाहन का चालान आदि होने पर समस्त जिम्मेदारी वाहन चालक/वाहन प्रदाता की होगी।
3. वाहन जब भी आवश्यकता हो के आधार पर उपलब्ध कराने होगे। कार्यालय द्वारा दूरभाष पर या पत्र द्वारा सूचित किये जाने पर वाहन यथा समय उपलब्ध कराने होगे।
4. वाहन के साथ लाईसेंस युक्त वाहन चालक वर्दी में होगा। वाहन चालक का व्यवहार विनम्र एवं संतोषप्रद होना चाहिए।
5. कार्यालय के आदेशानुसार समय एवं स्थान पर वाहन नहीं उपलब्ध कराने पर कार्यालय द्वारा अन्य व्यवस्था किये जाने पर अनुमोदित दरों से अधिक भुगतान की वसूली अनुबंधकर्ता फर्म से की जावेगी तथा प्रत्येक वाहन उपलब्ध नहीं कराने के लिए रू. 500/– तक की पैनल्टी उपापनकर्ता अधिकारी द्वारा लगाई जा सकती है।
6. वाहन चालक वाहन चलाते समय शराब/नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेगा अगर ऐसा पाया गया तो वाहन तत्काल वापिस लौटा दिया जावेगा तथा उसके स्थान पर तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी। वाहन चालक द्वारा कोई अवैधानिक या अपराधिक कृत्य किये जाने पर उसके विरूद्ध पुलिस थाने में एफआईआर वाहन प्रदाता द्वारा दर्ज करानी होगी।
7. वाहन प्रदाता द्वारा प्रत्येक यात्रा की लॉगशीट एवं उपयोग का विवरण/ड्यूटी स्लीप बनाई जाकर उपयोगकर्ता अधिकारी से सत्यापित करवाकर बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी। वाहन पर अलग पेपर प्लेट पर ड्यूटी के दौरान On Government Duty लिखकर लगानी होगी। जिससे वाहन को ड्यूटी से मुक्त किये जाने पर तुरन्त हटाना होगा। ड्यूटी से मुक्ति के बाद भी उक्त पेपर प्लेट लगी हुई पाई गई तो रू. 100/– अर्थदण्ड देय होगा एवं किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही के लिए वाहन प्रदाता/वाहन चालक स्वयं जिम्मेदार होगे।
8. उपापनकर्ता कार्यालय द्वारा वाहन उपयोग के दौरान किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण वाहन चालक को शारीरिक या अन्य कोई क्षति होती है तो यह विभाग/कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। अनुबंधकर्ता/वाहन प्रदाता की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। इसके लिए वाहन चालक का बीमा आदि पर कोई व्यय हो तो वह भी वाहन प्रदाता द्वारा ही वहन किया जावेगा।
9. बिड़ दरों में वाहन पूर्ण रूप से पैट्रोल, डीजल, आयल, हवा, पानी, स्टेपनी, बीमा आदि सहित वाहन चालू हालत में लाईसेंस शुदा वाहन चालक के साथ उपलब्ध कराना होगा। वाहन के लिए आवश्यक समस्त करों एवं परिवहन नियमों की पालना की जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2025.08.21 15:29:32 IST
Reason: Approved

10. बोली (Bid) सूचना में वर्णित सभी प्रकार के वाहन कार्यालय द्वारा उपयोग के लिए आदेश दिया जाना आवश्यक नहीं है। कार्यालय की आवश्यकतानुसार ही जब भी आवश्यकता हो तथा जिस मॉडल के लिए आदेश दिया जावे वही उपलब्ध कराना होगा।

11. वाहनों के अलग–अलग मॉडल के लिए दरें अलग–अलग फर्मो की न्यूनतम प्राप्त होती है, तो एक से अधिक फर्मो को प्रत्येक श्रेणी के वाहनों के लिए अलग–अलग दरें भी स्वीकृत की जा सकती है। विभाग एक ही फर्म को समस्त श्रेणी के वाहनों के लिए कार्यादेश देने के लिए बाध्य नहीं है।

12. वाहन यात्रा के मध्य खराब होने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर तत्काल वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। जिसके लिए अलग से कोई चार्जेज देय नहीं होगे। वाहन की खराबी/दुर्घटना से हानि की समस्त जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी। वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था नहीं किये जाने पर यात्री अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर से व्यवस्था किये जाने पर उस पर होने वाला अतिरिक्त व्यय अनुबंधकर्ता फर्म से वसूली योग्य होगा।

13. कार्यालय को उपलब्ध कराये गये वाहनों के परिवहन कर अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा वहन किये जावेगे। सेवाकर, जीएसटी, टोल टैक्स, पार्किंग चार्जेज तथा अन्तर–राज्य यात्रा का पथ कर आदि का भुगतान यथा समय प्रभावी नियम एवं दरों से बोली दाता द्वारा दी गई वाहन किराये की दरों के अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा। सेवाकर या जीएसटी का भुगतान किये जाने पर राशि सम्बन्धित विभाग के राजकोष में जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में आगे इन करों का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा किये गये भुगतान की वसूली वाहन प्रदाता के बिलों या सिक्युरिटी से की जा सकती है।

14. कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का मॉडल 2020 से अधिक पुराना स्वीकार्य नहीं होगा।

15. अनुबंध अवधि के दौरान लागू परिवहन विधि नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं आदि में दिए गये दिशा निर्देशों, की पालना करने का दायित्व बोलीदाता का होगा। उक्त नियमों/निर्देशों की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये भी बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

16. अनुबन्धकर्ता को ठेका कार्य का संचालन स्वयं ही कराना होगा व किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को सबलेट नहीं कर सकेगा।

17. बोलीदाता (Bidder) द्वारा कार्य बीच में छोडने पर या कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर स्वीकृत ठेका निरस्त कर प्रतिभूति जब्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, शासन सचिवालय, जयपुर को होगा।

18. उक्त अनुबन्ध से सम्बन्धित कार्यादेशों की पालना एवं अन्य वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिए वाहन प्रदाता द्वारा उसके व्यक्ति/व्यक्तियो को नामजद कराना होगा, जो बोलीदाता (Bidder) के नाम से जारी पत्रों को प्राप्त करने एवं वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत एवं उत्तरदायी होंगे। अधिकृत व्यक्ति संस्थापन प्रभारी के सम्पर्क में रहेगा एवं आदेशों के अनुसार कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।

19. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर निदेशक SSAAT का निर्णय अंतिम होगा व बोलीदाता (Bidder)को मान्य होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2025.08.21 15:29:32 IST
Reason: Approved

20. किसी भी बोली (Bid) को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार कनने का पूर्ण अधिकार उपापन अधिकारी को होगा।

21. बोलीदाता (Bidder) को भुगतान सामाजिक लेखा परीक्षा एवं पारदर्शिता सोसायटी द्वारा किया जावेगा तथा नियमानुसार टी.डी.एस. कटौती कर जरिये चैक/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जावेगा। वाहन उपलब्ध कराने के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

22. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (संबंधित विभाग या एजेन्सी) द्वारा जयपुर, राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जायेगी।

23. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में इस उपापन से सुसंगत सभी प्रावधान, परिपत्र एवं शर्ते इस बोली (Bid) एवं अनुबंध के लिए अक्षरशः लागू होंगे।

बोलीदाता (Bidder) के हस्ताक्षर मय सील

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2025.08.21 15:29:32 IST
Reason: Approved

<u>बोली (Bid) एवं संविदा की सामान्य शर्तें</u>

टिप्पणी : बोलीदाता (Bidder) को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोली (Bid) प्रस्तुत करते समय पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. बोली (Bid) प्रस्तावों को बोली (Bid) सूचना में दिऐ गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
2. (1) बोलीदाता (Bidder) के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में एजेन्सी द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारी के बोलीदाता (Bidder) द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए बोलीदाता (Bidder) की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
3. जीएसटी पंजीयन प्रमाण–पत्र :– कोई भी बोलीदाता (Bidder) यदि उस राज्य में प्रचलित जहां उसका व्यवसाय स्थिति जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत है जीएसटी पंजीयन संख्या का उल्लेख करे (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे)।
3. दरें एवं प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जावे।
4. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां नहीं होना चाहिए। वित्तीय बोली प्रपत्र प्रस्तुत की जावे। नियमानुसार तत्समय प्रभावी दरों से जीएसटी का भुगतान उक्त दरों के अतिरिक्त किया जावेगा।
5. **<u>विधिमान्यता</u>:–** बोली (Bid) उनके खोले जाने की तारीख से 90 की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।
6. अनुमोदित सेवा प्रदाता के लिए यह समझा जाएगा कि उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन संविदा की विशेष शर्तो के अनुरूप होंगे। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों एवं योग्यताओं आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे सेवा प्राप्तकर्ता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
7. एजेन्सी अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।

8. **<u>विनिर्देश</u>** :–

   (क) उपलब्ध कराये गये वाहन संविदा की विशेष शर्तो के पूर्णतया अनुरूप होंगे तथा बोलीदाता (Bidder) यह गारंटी देगा कि वाहनों की शर्तों के अनुरूप बनी रहेंगे तथा यदि उक्त अवधि वाहनों की विशेष शर्तों के अनुरूप नहीं पाई गई तो सोसायटी को वाहन अस्वीकार करने का हक होगा। ऐसे अस्वीकार किये गये वाहनो को बोलीदाता (Bidder) तुरन्त बदल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation: Director
Date: 2025.08.21 15:29:32 IST
Reason: Approved

R:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\17306064_9122013585973133794.docx 8/21/2025

देगा, अन्यथा बोलीदाता (Bidder) ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में सेवा प्राप्तकर्ता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(ख) बोलीदाता (Bidder) अपने कार्यालय परिसर का, जहॉं पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति का नाम व पते के साथ देगा, जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा।

9. अस्वीकार किये गये वाहनो को तुरन्त बदल कर नये वाहन बोलीदाता (Bidder)द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके बाद सोसायटी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी तथा उसे बोलीदाता (Bidder) की जोखिम पर उन वाहनों को जिन्हें वह उचित समझे, अन्यत्र उपयोग करने का अधिकार होगा।

10. बोलीदाता (Bidder) या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।

11. (i) बोलीदाता (Bidder), जिसकी बिड स्वीकार की जाए, उसके द्वारा कार्यालय द्वारा पत्र या दूरभाष द्वारा सूचित किये जाने पर निर्देशित समय पर वाहन उपलब्ध कराने होंगे।

(ii) यदि सोसायटी वाहन नहीं लेता है या निर्दिष्ट संख्या से कम संख्या में वाहन लेता है, तो बोलीदाता (Bidder) किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

12. **बिड़ सुरक्षा राशि** (Bid Security) :–

(क) बिड़ के साथ बिड़ सुरक्षा राशि निम्न रूप में जमा करायी जानी चाहिए जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा :–

(i) राष्ट्रीयकृत या शिड्यूल बैंक का बैंक ड्रॉफ्ट / बैंकर्स चैक

(ख) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बिड सुरक्षा राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रदद् की गई बोली (Bid) के सम्बन्ध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग / कार्यालय के पास जमा बिड सुरक्षा राशि / प्रतिभूति निक्षेप को नई बोली (Bid) के लिए बिड़ सुरक्षा राशि के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि बोली (Bid) को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बिड़ सुरक्षा राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

13. **बिड़ सुरक्षा राशि का समपहरण :–** बिड़ सुरक्षा राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :–

(i) जब बोलीदाता (Bidder) बोली (Bid) खोलने के बाद किन्तु बोली (Bid) को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ii) जब बोलीदाता (Bidder) विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी भी प्रकार करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2025.08.21 15:29:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17306064

(iii) जब बोलीदाता (Bidder) प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(iv) जब वह विहित समय के भीतर कार्यादेश के अनुसार वाहन उपलब्ध कराने में असफल रहता है।

14. (1) करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि :–

(i) सफल बोलीदाता (Bidder) को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार पत्र निष्पादित कराना होगा तथा जितनी अनुमानित बीड राशि के लिए बोली (Bid) स्वीकार की गई है, उनके कार्य के मूल्य की 05 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसकी बोली (Bid) के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिन के भीतर जमा कराई जाएगी।

(ii) बोली (Bid) के समय जमा कराई गई बिड़ सुरक्षा राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि की राशि किसी भी दशा में बिड़ सुरक्षा राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(v) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :–

(क) नकद / बैंक ड्रॉफ्ट / बैंकर्स चैक / प्लेज्ड एफ.डी.आर.

(ख) राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र, डिफेंस सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत कोई अन्य स्क्रिप्ट / विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण–पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जायेगा।

(2) इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता (Bidder) के विरूद्ध कोई देय बकाया (Outstanding Dues) नहीं है, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण :– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता (Bidder) आवश्यकता अनुसार वाहन सन्तोषजनक ढंग से उपलब्ध कराने में असफल रहा हो।

(ग) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में सेवाएं प्राप्तकर्ता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(4)(i) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के [illegible] भुगतान बोलीदाता (Bidder) द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस [illegible] की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपड़त (Counter foil) [illegible] दी जाएगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation: Director
Date: 2025.08.21 15:29:32 IST
Reason: Approved

(ii) भुगतान करने पर किए गए प्रेक्षण प्रभार (Remittance charges) बोलीदाता (Bidder) द्वारा वहन किए जाएंगे।

15. **भुगतान** :–

(i) दुर्लभ एवं विशिष्ठ मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, वाहनों की सेवाओं के लिए भुगतान बोलीदाता (Bidder) द्वारा सेवाऐं प्राप्तकर्ता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण बोलीदाता (Bidder) द्वारा वहन किये जाएंगे।

(iii) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक भुगतान को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iv) उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हो।

16. (i) बोली (Bid) प्रपत्र में वाहनों की सेवाओं के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता (Bidder), क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर निश्चित अवधि के भीतर उपलब्ध करायेगा।

17. **वसूलियॉ** :– परिसमापित नुकसानी, आदेशानुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराने आदि के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से या प्रतिभूति में से की जाएगी यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी. डी. आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

18. यदि बोलीदाता (Bidder) ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली (Bid) स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हों।

19. उपापन अधिकारी किसी भी बोली (Bid) को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली (Bid) नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली (Bid) को रद्द करने या जिन वाहनो के लिए बोलीदाता (Bidder) ने बोली (Bid) दी हैं, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली (Bid) को स्वीकार/अस्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को वाहनो की मदों को विपरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

20. बोलीदाता (Bidder) करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2025.08.21 15:29:32 IST
Reason: Approved

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामलें में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

21. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रकरण में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार निदेशक (SSAAT) को होगा। बोलीदाता इस संबंध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत अपील कर सकेगा।

22. कीमते गिरने का खण्ड :– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 29 (2) (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन दरें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यधीन होगी। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदा में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यदि दर संविदाधारक दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सेवाए देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से सेवाओं के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से करने वाली फर्म को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 15 दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि समानान्तर संविदा धारक फर्म दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गई कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मो और मूल संविदा धारक फर्म को अपनी कीमते तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

23. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार द्वारा जयपुर शहर में स्थित न्यायलयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

24. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 तथा सामान्य वित्तीय लेखा नियमों में अंकित इस उपापन से सुसंगत सभी प्रावधान एवं शर्ते इस बोली एवं अनुबंध के लिए अक्षरशः लागु होगी।

25. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत बोली दस्तावेजों में निम्नलिखित Annexure भी संलग्न है।

Annexure - A : Complaince with the Code of Integrity and No Confict of Interest

Annexure - B : Declaration by the Bidder regarding Qualific...

Annexure - C : Grievance Redressal during Procurement Process

Annexure - D : Additional Conditions of Contract

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2025.08.21 15:29:32 IST
Reason: Approved

इन Annexure में दी गयी शर्तो एवं प्रावधानों को स्वीकार करने के प्रमाण में आवश्यक पूर्तियां की जाकर इनके प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता द्वारा अपने हस्ताक्षर कर बोली प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रस्तुत करेगा।

बोलीदाता (Bidder) के हस्ताक्षर मय मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2025.08.21 15:29:32 IST
Reason: Approved

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gill or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly' or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i). A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-changed consultant for the contract.

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2025.08.21 15:29:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17306064

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

<u>Declaration by the Bidder</u>

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.................. Dated....................... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:	Signature of bidder
Place:	Name :
	Designation:
	Address:

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2025.08.21 15:29:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17306064

Annexure C : Grievance Redressal (luring Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **Diretor, SSAAT, Jaipur**
The designation and address or the Second Appellate Authority is **Secretary, Rural Development, Jaipur**

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder Is aggrieved that any decision, action or emission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal lo First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to disi.ose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2025.08.21 15:29:32 IST
Reason: Approved

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second 'appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Bidders Singnature

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2025.08.21 15:29:32 IST
Reason: Approved

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal tinder the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No .... of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: ....
....
....
.... (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....
....
....
Place ....
Date ....

Appellant's Signature

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2025.08.21 15:29:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17306064

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) if the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2025.08.21 15:29:32 IST
Reason: Approved

Bidder Signature

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033

Financial Bid

As and when basis आधार पर टैक्सी कार वाहन उपलब्ध कराने हेतु बोली (Bid) आमंत्रण

NIB No.3/SSAAT/Car/2025

Sr. No.	Taxi car Model	Rates quoted per K.M. for Local Journey in Jaipur City (Min 100 Km/per day) (in Rs.)	Rates quoted per K.M. for out side Jaipur City Journey in Rajasthan (Min 200 Km/per day) (in Rs.)	Night Charges (After 12.00 AM in Rs)
1				
2				
3				

GST, Toll Tax, Night Charges, Parking Charges shall be paid extra, as per rates and rules applicable.

बोलीदाता (Bidder) के हस्ताक्षर मय मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanwar Mal Verma
Designation : Director
Date: 2025.08.21 15:29:32 IST
Reason: Approved